



Neutral Citation No. - 2026:AHC:50999

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 8134 वर्ष 2026

डॉ. लोकेश कुमार गुप्ता एवं अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

राजस्व परिषद, इलाहाबाद एवं 19 अन्य

.....प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता

: निशी सेंगर

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता

: अरुण कुमार पांडेय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

- वर्तमान याचिका में याचिकाकर्तागण द्वारा की गई एकमात्र प्रार्थना यह है कि प्रत्यर्था संख्या 2/आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ को निर्देशित किया जाए कि वह अपील संख्या 217 वर्ष 2026 (संगणकीकृत वाद संख्या टी202618000000217) के साथ प्रस्तुत स्थगन आवेदन पर यथाशीघ्र उपयुक्त आदेश पारित करें।
- इसके विपरीत, प्रत्यर्थागण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्था संख्या 2 उक्त आवेदन का निस्तारण यथाशीघ्र करेगा।
- पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
- प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में, वर्तमान याचिका का निस्तारण करते हुए प्रत्यर्था संख्या 2/आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वह उपर्युक्त अपील में प्रस्तुत स्थगन आवेदन का निस्तारण, समस्त संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत, विधि के अनुरूप, यथाशीघ्र तथा अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर, जब तक कोई विधिक बाधा न हो, सुनिश्चित करें।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

दिनांक : 12 मार्च, 2026

साकलेन

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।